

01/03/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी अनुपस्थित।  
उतिवादी लब्धा 5 व उनके वकील अनुपस्थित। उन्हें बार-बार  
आवाजे लगावाई गई लेकिन इजलास वक़्त तक काबजुद  
आवाजे लगावने के कोई उपरिषत नहीं आया। इस  
पर उतिवादी सरखा 1 व 7 के वकील ने वाद खारिज  
करने का निवेदन किया की मैं पत्रावली का अवलोकन  
किया तो पाया कि उतिवादी सं. 6 की तलवी हेतु मद्रासी  
तलवान् समन एक वाद उति के लिए वकील वादी हाथ  
दिनांक 11-11-2011 से अब तक समय लिया जाता रहा है।  
लेकिन आदिनांक समन तलवान् आदा नहीं किया है कतः  
उक्त अदम करवी अदम एजिटी एव अदेश 7 निम्न उजादी  
के उपवन्दी की पालन में असफल रहे है अदेश 7 निम्न 11  
(ए) उजादी के तहत खारिज किया जाता है। मिसल फौसल  
शुमार होकर नबर से कम हो।

उपस्थित अधिकारी  
मसुदा (अजमेर)

